परिपत्र संख्या- / वर्ष 2010

पत्र संख्या-न्याय-व0प्र0अ0पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/ 2010-11/ 1011040 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ::सितम्बर:: 07 :: 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में ।

डिप्टी कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ द्वारा दिये गये कतिपय निर्णयों का विवरण उपलब्ध कराया है, जिनसे सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

1- **रिट पिटीशन संख्या-1629/2002 सर्वश्री इण्डोडान इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फर नगर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य। (निर्णय तिथि 13-7-2010)**

प्रश्नगत मामले में वि0अनु0शा0 के सर्वेक्षण के आधार पर धारा-21 की नोटिस कर निर्धारण वर्ष 1992-93 प्रान्तीय केन्द्रीय के लिए जारी की गयी थी । यह आदेश दिनांक 30-3-2002 को पारित किया गया । व्यापारी द्वारा इसके विरुद्ध एक रिट याचिका दाखिल की गयी तथा मुख्य रुप से यह बिन्दु विवादित किया कि उसे धारा-21 की नोटिस नियम-77 के अनुसार तामील नही है । धारा-21 के नोटिस पर प्रोसेस सर्वर श्री हरी सिंघल द्वारा यह रिपोर्ट लगायी गयी थी कि दिनांक 27-3-2002 को व्यापारी के फैक्ट्री पर गये वहॉ पर अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमन राज अग्रवाल से मिले तथा उनके द्वारा नोटिस को पढ़कर लेने से मना कर दिया गया। व्यापारी का यह कहना था कि पत्रवाहक की यह रिपोर्ट गलत है । व्यापारी द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 27-3-2002 को श्री सुमन राज अग्रवाल छुट्टी पर थे।

न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि श्री सुमन राज अग्रवाल द्वारा यह कही भी प्रतिवाद नही किया गया कि पत्रवाहक उन्हे 27-3-2002 को नही मिले और सुमन राज अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण उनका कथन स्वीकार्य योग्य नही है, जिसके कारण मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि नियम-77(1)(ए) व नियम 77(3) के अन्तर्गत नोटिस की तामीली विधिवत की गयी है । धारा-21 की नोटिस वि0अनु0शा0 की रिपोर्ट के आधार पर थी जिसमें व्यापारी के

अभिलेखो में अनियमितता पाये जाने के उल्लेख है, इसलिए जारी की गयी नोटिस विधिक है तथा मा0 न्यायालय द्वारा व्यापारी की याचिका खारिज की गयी।

2- टी0टी0 आर0 संख्या-725/2000 कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ बनाम कन्ट्रोल स्विच गेयर्स कम्पनी लि0, नोएडा। (निर्णय तिथि 14-7-2010)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-8(1) प्रस्तुत वाद में विवादित महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कर निर्धारण स्तर पर वांछित घोषणा पत्र जिनके द्वारा करमुक्ति या कर छूट का लाभ दिया जाना है, दाखिल न किये जाने के फलस्वरुप क्या आरोपित कर पर ब्याज की देयता होगी ? यह विचारणीय प्रश्न बृहद् पीठ को सन्दर्भित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अभिमत दिया है कि फार्म की अनुपलब्धता के फलस्वरुप देयकर को स्वीकृत कर माना जायेगा तथा उस पर धारा-8(1) के अन्तर्गत रुपपत्र दाखिल करने की तिथि से ब्याज की देयता होगी। भविष्य में फार्म की उपलब्धता की आशा का कोई लाभ ब्याज आरोपित किये जाने में विचारणीय नही होगा।

अतः उपर्युक्त निर्णयों की प्राप्त इण्टरनेट छाया प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि निर्णयों के तथ्यों सहित अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुए मा0 न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

7/9/10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिजय कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग)वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।

Suresh-L/9/1/2010/11:12:28 AM/253